रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062026-273465
CG-DL-E-15062026-273465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2931]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948
No. 2931]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

का.आ. 3037(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, सभी रबड़ और सभी पॉलिमर सामग्री से बने फुटवियर और इसके घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. (1) इस आदेश को सभी रबड़ और सभी पॉलिमर सामग्री से बने फुटवियर और इसके घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. सभी रबड़ और सभी पॉलिमर सामग्री से बने फुटवियर और इसके घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के खंड 2 में-

(क) पांचवें परंतुक में, आंकड़े, अक्षरों और शब्द "31 जुलाई, 2026" को, आंकड़े, अक्षर और शब्द "31 जुलाई, 2027" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) पांचवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामतः-

"बशर्ते यह भी कि इस आदेश में कुछ भी, चमड़ा और फुटवियर उत्पादों के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान एवं विकास और गैर-वाणिज्यिक उपयोग के उद्देश्य से किसी एक वर्ष में आयातित माल या वस्तुओं के 4500 जोड़े पर लागू नहीं होगा, जो कि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, कि उसे

(क) वाणिज्यिक रूप से नहीं बेचा जाएगा;

(ख) 'बिक्री के लिए नहीं' चिह्नित और अंकित किया जाएगा;

(ग) स्क्रैप के रूप में निपटाया जा सकता है;

और साथ ही विनिर्माता वर्ष-वार रिकॉर्ड रखेगा और यदि सरकार द्वारा वांछित हो, तो इसे प्रस्तुत करेगा।"

[फा. सं. पी-27025/80/2023-चमड़ा]

निधि केसरवानी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सां.आ. 1422 (अ), दिनांक 15 मार्च, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसे सा.आ. 3701 (अ), दिनांक 30 अगस्त, 2024 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 12th June, 2026

S.O. 3037(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (*1*) and (*2*) of section 16 read with sub-section (*3*) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest and after consulting the Bureau, hereby makes the following Order further to amend the Footwear made from All Rubber and all Polymeric Material and its Components (Quality Control) Order, 2024, namely:-

1. **Short title and commencement**. – (*1*) This Order may be called the Footwear made from All Rubber and all Polymeric Material and its Components (Quality Control) Amendment Order, 2026.

(*2*) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Footwear made from All Rubber and All Polymeric Material and its Components (Quality Control) Order, 2024, in clause 2,-

(*a*) in the fifth proviso, for figures, letters and word "31st July, 2026", the figures, letters and word "31st July, 2027" shall be substituted;

(*b*) after the fifth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided also that nothing in this Order shall apply to the import of goods or articles up to 4500 pairs in a year by manufacturers of leather and footwear products for the purposes of research and development and non-commercial use, subject to the following conditions, that it shall, –

(*a*) not be sold commercially;

(*b*) be marked and embossed with the words 'NOT FOR SALE';

(*c*) be disposed as scrap;

and the manufacturer shall maintain year-wise records and shall be furnished to the Government as and when required.".

[F. No. P-27025/80/2023-Leather]

NIDHI KESARWANI, Jt. Secy.

Note:- The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1422 (E), dated the 15th March, 2024 and subsequently amended *vide* number S.O. 3701(E), dated the 30th August 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA